

गाजा: कभी नहीं फिर से - अब - सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक हताश याचिका

“नरसंहार का अपराध केवल किसी एक समुदाय के खिलाफ अपराध नहीं है - यह मानवता के खिलाफ अपराध है।”

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, 2004

गाजा की स्थिति एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है जहां सैन्य हस्तक्षेप न केवल कानूनी रूप से अनुमत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अनिवार्य है। इजरायल का निरंतर नाकाबंदी और सैन्य अभियान एक मानवीय आपदा का कारण बन गए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने नरसंहार के “संभावित जोखिम” की पहचान की है। कूटनीति, प्रतिबंध, और कानूनी फैसलों ने इजरायल के आचरण को बदलने में विफलता दिखाई है, जिससे सैन्य हस्तक्षेप एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बन गया है ताकि और अधिक अत्याचारों को रोका जा सके। यह तर्क इजरायल की अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत दायित्वों, ICJ के फैसलों, नरसंहार को रोकने की जिम्मेदारी, सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार, संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) सिद्धांत, और गाजा के क्षेत्रीय जल के कानूनी दर्जे पर आधारित है। हालांकि इजरायल और इसके सहयोगी - संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, और जर्मनी - इस तरह के कदम की निंदा करेंगे, रूस और चीन का समर्थन, ICJ की चल रही कार्यवाहियों के साथ मिलकर, एक मजबूत कानूनी और भू-राजनीतिक मार्ग प्रदान करता है।

इजरायल की कब्जाधारी शक्ति के रूप में जिम्मेदारियां

गाजा में कब्जाधारी शक्ति के रूप में, इजरायल **चौथे जेनेवा सम्मेलन (1949)** से बंधा है, जो नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कर्तव्यों को लागू करता है। सम्मेलन का अनुच्छेद 55 कहता है:

“अपने उपलब्ध साधनों की पूरी सीमा तक, कब्जाधारी शक्ति का कर्तव्य है कि वह आबादी के लिए भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करे; विशेष रूप से, यदि कब्जे वाले क्षेत्र के संसाधन अपर्याप्त हैं, तो उसे आवश्यक खाद्य पदार्थ, चिकित्सा भंडार और अन्य सामग्री लानी चाहिए।”

इजरायल की नाकाबंदी, जो भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं को प्रतिबंधित करती है, इस दायित्व का उल्लंघन करती है। 143 दिनों की घेराबंदी के बाद, गाजा ने अपनी सभी रिजर्व को समाप्त कर लिया है और अब IPC चरण 4 (आपातकाल) / चरण 5 (विनाशकारी) भुखमरी में है। जेनेवा सम्मेलन द्वारा आवश्यक मानवीय सहायता की अनुमति न देने में इजरायल की विफलता, पहुंच को बहाल करने और नागरिकों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप के लिए एक मूलभूत औचित्य प्रदान करती है।

सम्मेलन के तहत नरसंहार: जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से जानबूझकर विनाश

1948 का नरसंहार सम्मेलन, अनुच्छेद II, खंड C, नरसंहार को इस प्रकार परिभाषित करता है:

“किसी समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन की परिस्थितियां थोपना जो उसके पूर्ण या आंशिक भौतिक विनाश को लाने के लिए गणना की गई हों।”

इजरायल की 143 दिनों की घेराबंदी, UNRWA पर प्रतिबंध, और GHF के घातक सहायता वितरण प्रणाली पर निर्भरता इसका उदाहरण है। वितरण बिंदुओं पर 1,021 लोगों की मृत्यु और 6,511 की चोटें, साथ ही 20 जुलाई 2025 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के काफिले पर IDF का हमला - जिसमें 94 लोग मारे गए और 150 घायल हुए - जीवित रहने में बाधा डालने

की मंशा को दर्शाते हैं। IPC चरण 5 की भुखमरी से होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति, विशेष रूप से बच्चों के लिए, इन परिस्थितियों की नरसंहार प्रकृति को रेखांकित करती है।

मानवीय सहायता का आदेश देने वाली ICJ की अस्थायी उपाय

दक्षिण अफ्रीका बनाम इजरायल (2024) में, ICJ ने दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार सम्मेलन के तहत आवेदन के जवाब में अस्थायी उपाय जारी किए, जिसमें इजरायल के सैन्य अभियानों और नाकाबंदी के कारण गाजा में नरसंहार के “संभावित जोखिम” को पाया गया। अदालत ने इजरायल को आदेश दिया:

“अपनी शक्ति में सभी उपाय करने के लिए ताकि [नरसंहार सम्मेलन] के अनुच्छेद II के दायरे में आने वाले सभी कृत्यों को रोका जा सके” और “तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रावधान को सक्षम बनाया जाए।”

इजरायल द्वारा सहायता की निरंतर प्रतिबंध और सैन्य अभियानों का विस्तार इन बाध्यकारी उपायों का पालन न करने को दर्शाता है। यह अवज्ञा ICJ के फैसले को लागू करने और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक कानूनी आधार बनाती है।

ला ग्रैंड फैसला: अस्थायी उपाय बाध्यकारी हैं

ICJ के अस्थायी उपायों की बाध्यकारी प्रकृति **ला ग्रैंड (जर्मनी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 2001)** में स्थापित की गई थी, जहां अदालत ने फैसला दिया:

“अदालत द्वारा संकेतित अस्थायी उपाय पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं।”

2024 के अस्थायी उपायों का पालन न करने में इजरायल की विफलता अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। **ला ग्रैंड** नजीर यह रेखांकित करती है कि राज्य ICJ के आदेशों को परिणामों के बिना अनदेखा नहीं कर सकते, जो अनुपालन लागू करने और गाजा की आबादी की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप को उचित ठहराती है।

बोस्निया बनाम सर्बिया: नरसंहार को रोकने का कर्तव्य

बोस्निया और हर्जगोविना बनाम सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो (2007) में ICJ का निर्णय राज्यों पर यह स्पष्ट दायित्व डालता है कि जब उन्हें नरसंहार के गंभीर जोखिम की जानकारी हो तो वे कार्रवाई करें। अदालत ने माना:

“एक राज्य... को यह दायित्व है कि वह सभी उचित रूप से उपलब्ध साधनों का उपयोग करे ताकि नरसंहार को यथासंभव रोका जाए, जब उसे यह जानकारी हो कि नरसंहार होने का गंभीर जोखिम है।”

गाजा में नरसंहार के “संभावित जोखिम” की ICJ की खोज इस कर्तव्य को सक्रिय करती है। जब गैर-सैन्य उपाय - कूटनीति, प्रतिबंध, और कानूनी कार्यवाही - विफल हो जाते हैं, तो नरसंहार को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप एक कानूनी और आवश्यक कदम बन जाता है, जैसा कि **बोस्निया** फैसले में अपेक्षित है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51: सामूहिक आत्मरक्षा

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 राज्यों के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को पुनः पुष्ट करता है, जिसमें सामूहिक आत्मरक्षा शामिल है, और यह कहता है:

“इस चार्टर में कुछ भी संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को कमजोर नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले।”

यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों तक सीमित नहीं है और न ही चार्टर के अन्य प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित है। इजरायल की नाकाबंदी और सैन्य अभियान गाजा की आबादी के खिलाफ एक निरंतर सशस्त्र हमला बनाते हैं। इस अधिकार

की अंतर्निहित प्रकृति राज्यों को सामूहिक आत्मरक्षा में कार्य करने की अनुमति देती है, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की मंजूरी के बिना, विशेष रूप से जब परिषद अमेरिकी वीटो के कारण लकवाग्रस्त हो। यह इजरायल की कार्रवाइयों को पीछे धकेलने और नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक कानूनी मार्ग प्रदान करता है।

फिलिस्तीन की मान्यता: अनुच्छेद 51 को मजबूत करना

फिलिस्तीन की स्थिति सामूहिक आत्मरक्षा के तर्क को मजबूत करती है। 140 से अधिक राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा (रिजॉल्यूशन 67/19) प्राप्त करने वाला फिलिस्तीन व्यापक लेकिन अधूरी अंतरराष्ट्रीय मान्यता का आनंद लेता है। अंतरराष्ट्रीय कानून में राज्यत्व के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, **मॉन्टेवीडियो सम्मेलन (1933)** के अनुसार, जो क्षेत्र, आबादी, सरकार, और विदेशी संबंधों की क्षमता जैसे मानदंडों को सूचीबद्ध करता है। फिलिस्तीन की मान्यता इसे हमले के तहत एक वैध इकाई के रूप में स्थापित करती है, जिससे अन्य राज्य इसके नाम पर अनुच्छेद 51 के तहत सामूहिक आत्मरक्षा का आह्वान कर सकते हैं, विशेष रूप से इजरायल की गाजा के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाइयों को देखते हुए।

संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P): कार्रवाई के लिए एक जनादेश

संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P) सिद्धांत, जो **2005 विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम दस्तावेज** में समर्थित है, हस्तक्षेप के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है। यह तीन स्तंभों को रेखांकित करता है: - **स्तंभ I**: “प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आबादी को नरसंहार, युद्ध अपराधों, जातीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से बचाए।” - **स्तंभ II**: “अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तिगत राज्यों को इस जिम्मेदारी को पूरा करने में प्रोत्साहित करे और उनकी सहायता करे।” - **स्तंभ III**: “यदि कोई राज्य अपनी आबादी की रक्षा करने में स्पष्ट रूप से विफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उचित सामूहिक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

कब्जाधारी शक्ति के रूप में इजरायल गाजा की आबादी की रक्षा करने में विफल रहा है (स्तंभ I)। कूटनीति और प्रतिबंधों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रयास अवरुद्ध या अप्रभावी रहे हैं (स्तंभ II), जो **स्तंभ III** को सक्रिय करता है, जिसमें सैन्य हस्तक्षेप शामिल है जब कोई राज्य अपनी आबादी की रक्षा करने में स्पष्ट रूप से विफल रहता है। UNSC की लकवाग्रस्त स्थिति को देखते हुए, राज्य R2P के तहत सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए उचित हैं।

गाजा के क्षेत्रीय जल: फिलिस्तीनी अधिकारों की बहाली

इजरायल गाजा को अपने क्षेत्र के रूप में दावा नहीं करता, जिसके गाजा के क्षेत्रीय जल में सैन्य हस्तक्षेप की वैधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS)**, अनुच्छेद 2, कहता है:

“एक तटीय राज्य की संप्रभुता, उसके भू-भाग और आंतरिक जलों से परे, समुद्र की एक समीपवर्ती पट्टी तक फैली हुई है, जिसे क्षेत्रीय समुद्र के रूप में वर्णित किया जाता है।”

चूंकि इजरायल गाजा पर संप्रभुता का दावा नहीं करता, इसलिए उसके पास गाजा के क्षेत्रीय जल (12 समुद्री मील तक) को नियंत्रित करने या वहां नाकाबंदी लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ICJ की 2024 की सलाहकार राय ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे को गैरकानूनी घोषित किया, जिसने गाजा के जल पर इसके नियंत्रण के दावे को और कमजोर कर दिया। नाकाबंदी को तोड़ने और मानवीय सहायता देने के लिए सैन्य हस्तक्षेप इजरायल के खिलाफ क्षेत्रीय आक्रमण नहीं है, क्योंकि यह एक वैध क्षेत्रीय दावे को चुनौती नहीं देता। इसके बजाय, यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी जल पर उनके अधिकारों को बहाल करता है, जो इसे क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने वाले प्रावधानों के तहत UNSC की मंजूरी से छूट देता है।

मैडलीन घटना: नरसंहार की सेवा में समुद्री डकैती

इजरायल की गाजा को भुखमरी के माध्यम से आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की मंशा का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन इसके तटों से दूर हुआ। इजरायली नौसेना बलों ने **मैडलीन** को रोका, जो ब्रिटिश ध्वज के तहत फ्रीडम फ्लोटिला का एक जहाज था, जो

मानवीय सहायता ले जा रहा था, **160 समुद्री मील से अधिक की दूरी पर** - पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय जल में। जहाज पर **बारह नागरिक कार्यकर्ता** थे, जिनमें **ग्रेटा थनबर्ग** और **फ्रांसीसी MEP रिमा हसन** शामिल थे।

इजरायली बलों ने जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाई की, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और सारी सहायता जब्त कर ली - एक ऐसा कार्य जो **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अनुच्छेद 101** के तहत समुद्री डकैती के रूप में योग्य है:

“निजी उद्देश्यों के लिए निजी जहाज के चालक दल या यात्रियों द्वारा किए गए हिंसा या हिरासत के कोई भी गैरकानूनी कार्य, या कोई लूटपाट का कार्य... खुले समुद्र पर किसी अन्य जहाज के खिलाफ।”

यह आक्रामक कार्य एक अलग-थलग घटना नहीं थी - यह इजरायल की मंशा का स्पष्ट पुष्टिकरण था कि वह **सभी मानवीय सहायता को रोके**, यहां तक कि जब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जहाजों से तटस्थ जल में आता हो। **मैडलीन** का अपहरण न केवल अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन करता था, बल्कि **नाकाबंदी के वास्तविक लक्ष्य को और साबित करता था**: गाजा के 2 मिलियन निवासियों को जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित करना।

अपने दावे की गई क्षेत्रीय सीमा से दूर मानवीय प्रयासों पर हमला करके, इजरायल ने नाकाबंदी को **सुरक्षा उपाय नहीं**, बल्कि **भुखमरी और धमकी की एक मुहिम** के रूप में उजागर किया। यह घटना **सैन्य हस्तक्षेप की तत्कालता** को रेखांकित करती है ताकि फिलिस्तीनी समुद्री अधिकारों को बहाल किया जाए और जीवन रक्षक सहायता की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।

भू-राजनीतिक समर्थन और कानूनी रणनीति

गाजा की इजरायली नाकाबंदी को तोड़ने के लिए कोई भी सैन्य हस्तक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी से तीव्र राजनीतिक विरोध का सामना करेगा। ये राज्य लगातार इजरायल की कार्रवाइयों का बचाव करते रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में जवाबदेही उपायों को अवरुद्ध करते रहे हैं। हालांकि, वैश्विक प्रवृत्ति बदल रही है। गाजा में संकट की गंभीरता - और इजरायल का अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति खुला अवहेलना - ने राज्यों की एक नई गठबंधन के लिए कार्रवाई करने का स्थान बनाया है।

रूस और चीन, हालांकि सैन्य प्रयास का नेतृत्व करने की संभावना नहीं है, ने सार्वजनिक रूप से इजरायल की नाकाबंदी की निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया है। दोनों के पास **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में वीटो शक्ति है और वे किसी भी ऐसी प्रस्ताव को अवरुद्ध कर सकते हैं जो मानवीय हस्तक्षेप को अपराधी बनाने का लक्ष्य रखता हो। यह वही राजनीतिक कवरेज दर्शाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 21 महीनों में इजरायल को प्रदान किया है। भू-राजनीतिक नजीर स्पष्ट है: वीटो शक्तियों का उपयोग सहयोगियों की रक्षा के लिए किया जाता है, न कि निष्पक्ष न्याय लागू करने के लिए।

हस्तक्षेप करने वाले राज्यों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ऐसी कार्रवाई को गैरकानूनी आक्रमण के रूप में चित्रित करने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि, हस्तक्षेप का कानूनी आधार - **ICJ के अस्थायी उपायों, नरसंहार सम्मेलन, और संरक्षण की जिम्मेदारी (R2P)** सिद्धांत में - ऐसी चुनौतियों को कमजोर और गैर-प्रेरक बनाता है। ICJ ने पहले ही गाजा में “नरसंहार के संभावित जोखिम” को पाया है और इजरायल को मानवीय सहायता की अनुमति देने का आदेश दिया है। इस जनादेश को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है - यह इसका **पालन** है।

इसके अलावा, इजरायल के खिलाफ ICJ में चल रहा नरसंहार का मामला संभवतः **नरसंहार सम्मेलन** के गंभीर उल्लंघनों की पुष्टि करेगा, जिससे सामूहिक अत्याचारों को रोकने और मानवीय पहुंच को बहाल करने के उद्देश्य से किसी भी हस्तक्षेप को और अधिक वैधता मिलेगी। जो राज्य अब कार्रवाई करेंगे, वे न केवल इतिहास के सही पक्ष में होंगे - वे कानून के सही पक्ष में भी होंगे।

निष्कर्ष: एक कानूनी और नैतिक अनिवार्यता

अंतरराष्ट्रीय कानून तब कार्रवाई की मांग करता है जब नरसंहार का खतरा वास्तविक हो - और गाजा में, यह खतरा अब सैद्धांतिक नहीं है। इजरायल की नाकाबंदी, **चौथे जेनेवा सम्मेलन** का उल्लंघन करते हुए, और **ICJ के बाध्यकारी अस्थायी उपायों** के प्रति उसका खुला अवहेलना, **तत्काल सैन्य हस्तक्षेप** के लिए कई ओवरलैपिंग कानूनी आधार प्रदान करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने जवाबदेही से इजरायल की रक्षा के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है। अब, **रूस और चीन** - दोनों फिलिस्तीनी अधिकारों के मुखर समर्थक - UNSC की प्रतिशोध से किसी भी मानवीय गठबंधन की रक्षा करके इस उपकार का बदला दे सकते हैं। **ICJ के अस्थायी उपाय** और इसके चल रहे नरसंहार मामले का संभावित परिणाम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो हस्तक्षेप को वैध बनाता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से उचित ठहराता है ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून लागू हो और जीवन बचाए जा सकें।

नरसंहार पर अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करने से पहले कार्रवाई करना ऐसा होगा जैसे अग्निशामकों से यह कहना कि वे आगजनी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें जबकि एक घर जल रहा हो।

गाजा में बहुत से लोगों के लिए, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सबसे बुरा अभी भी रोका जा सकता है - **यदि कुछ राज्य साहस, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट विवेक के साथ कार्य करें।**

यह और बयानों का समय नहीं है। यह जहाजों, काफिलों, और संरक्षण का समय है। **यह नाकाबंदी को तोड़ने का समय है।**